रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72

REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 54] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 12, 1980/माघ 23, 1901

No. 54] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 12, 1980/MAGHA 23, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1980

आदेश

का. आ. 90(अ).—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड, 90-महात्मा गांधी रोड, बम्बई- 400023 के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों, जिनका प्रतिनिधित्व आल इंडिया ग्रिंडलेज बैंक एम्पलाइज फेडरेशन, बम्बई ने किया है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और उक्त विवाद का स्वरूप ऐसा है कि उसमें एक से अधिक राज्य में स्थित ग्रिंडलेज बैंक के औद्योगिक स्थापनों के हितबद्ध या प्रभावित होने की संभावना है ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त विवाद में राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार—

(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसका मुख्यालय बम्बई में होगा और न्यायमूर्ति श्री चिंतामन तुकाराम दीघे को इसका पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है ; और

(2) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त औद्योगिक विवाद को उक्त राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

(1) क्या ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड के कर्मकारों की वर्तमान अतिरिक्त भत्ते, भोजन भत्ते, कैन्टीन को आर्थिक सहायता और आवास ऋण की राशि में वृद्धि की मांग न्यायोचित है ? यदि हां, तो किस सीमा तक और किस तारीख से ?

(2) क्या ग्रिंडलैज बैंक लिमिटेड के कर्मकारों की प्रबन्धतंत्र द्वारा 1976 में शुरू होने वाले लेखा वर्ष और उसके बाद के लेखा वर्षों के लिए दिए गए और/या प्रस्तावित बोनस की अपेक्षा अधिक बोनस की मांग न्यायोचित है ? यदि हां, तो किस सीमा तक और किन लेखा वर्षों के लिए ?

(3) क्या भारत में ग्रिंडलैज बैंक के कार्यालयों और शाखाओं में यंत्रीकरण के और विकास की कोई गुंजाइश है । यदि हां, तो किस सीमा तक और किन शर्तों ; यदि कोई हो, के साथ ?

[सं. एल-12025/65/79-डी. 2ए]

एल. के. नारायणन, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 12th February, 1980

ORDER

S.O. 90(E).—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Grindlays Bank Limited, 90-Mahatma Gandhi Road, Bombay-400023, and their workmen represented by All India Grindlays Bank Employees' Federation, Bombay, in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the said dispute is of such a nature that industrial establishments of the Grindlays Bank situated in more than one State are likely to be interested in, or affected by, such dispute;

And whereas the Central Government is of opinion that the said dispute should be adjudicated by a National Industrial Tribunal.

Now, therefore, the Central Government—

(i) In exercise of the powers conferred by section 7B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), hereby constitutes a National Industrial Tribunal with headquarters at Bombay and appoints Justice Shri Chintaman Tukaram Dighe as its Presiding Officer; and

(ii) in exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 10 of the said Act, hereby refers the said industrial dispute to the said National Industrial Tribunal for adjudication.

THE SCHEDULE

(1) Whether the demands of the workmen of Grindlays Bank Ltd. for increase in the quantum of existing additional allowance, lunch allowance, canteen subsidy and housing loan are justified ? If so, to what extent and from which date ?

(2) Whether the demand of the workmen of Grindlays Bank Limited for higher quantum of bonus than what has been paid and/or offered by the management for the accounting years commencing in 1976 and onwards is justified ? If so, to what extent and for which accounting years ?

(3) Whether there is any scope for further extension of mechanisation in offices and branches of Grindlays Bank Ltd. in India ? If so, to what extent and with what conditions, if any ?

[No. L-12025/65/79-D. II. A.]

L. K. NARAYANAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1980